"ओनली 25 आउट आफ 2,042 फूड सैक्टर प्रोजेक्टस एक्जीक्यूटिड इन टू इयर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है)

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा स्वीकृत 2,042 परियोजनाओं ने से अब तक केवल 25 की ही कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर ना" हो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) :

(क) जी, हां ।

(ख) से (घ) नवीन तम सूचना के अनुसार उद्यमियों द्वारा खाद्य उत्पादों के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए 97 ज्ञापन प्रस्तुत किए गये हैं। परियोज.ाओं के कार्यान्वियन में सामान्यतया 2–3 घर्ष का समय लग जाता है क्योंकि यह विभिन्न घटकों जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, उत्पाद की किस्म, राज्य स्तर पर विभिन्न स्वीकृतियों, वित्त की व्यवस्था आदि पर निर्भर करता है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार और विकास के लिए राष्ट्रीय नीति

286. **श्री राम जेठमलानी** : : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज यह सच है कि सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति की घोषणा करने से पूव किसानों, उद्योगपतियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ इस मामले में परामर्श करना चाहती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण पर एक नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है । इस नीति में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के त्वरित विकास एवं संवर्धन, फसलोत्तर नुकसान को कम करने, उद्योग और किसानों के बीच उत्पादक संपर्क स्थापित करने, प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात को बढ़ाने और सामान्यतः कृषि एवं संबंधित क्रिया-कलापों के त्पादक कार्यों को समर्थन देने के बारे में उल्लेख किया जायेगा । सभी संबंधितों से विधिवत परामर्श करके इसे अंतिम रूप दिया जायेगा ।

Demand for transplantation of human organs

287. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demand for transplantation of human organs in the country is on the increase;

(b) whether it is also a fact that a number of human organs go waste as a result of fatal road accidents;

(c) whether Government propose to enact a law permitting instantaneous removal of organs from victims of road accidents under a qualification, presumed consent; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The Government habe introduced the Transplantation of Human Organs Bill, 1993, which has been passed by the Rajya Sabha on 5.5.1993. The Bill provides for removal of organs from accident victims only if they satisfy the conditions laid down for the same in the legislation.

दिल्ली में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

288. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, दिल्ली प्रशासन को यह आदेश जारी किए थे कि वह दिल्ली में चल रहे इलेक्ट्रोपैथी मेडिकल कालेजों को तत्काल बन्द करें और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों पर प्रतिबन्ध लगायें; और

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में एक विज्ञप्ति जारी की है और क्या यह इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग उचित है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी नहीं। दिल्ली प्रशासन को केवल इस बात की सूचना भेजी गई है कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसमें इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता न देने के बारे में वास्तविक स्थिति स्पष्ट की गई है और आम जनता को यह चेतावनी दी गई कि संस्थानों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों/डिप्लोमों के धारक चिकित्सीय प्रेक्टिस करने के हकदार नहीं हैं और यदि वे इस पद्धति की प्रेक्टिस करते हैं तो यह इस देश के कानून और चिकित्सीय संहिता का उल्लंघन होगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस नोटिस में कोई कमी नहीं पाई और इस नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया।

Assessment on Health and Clinical care services

289. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether of late, Government have made any assessment with regard to the Government financed Health and clinical care services reaching to rural and urban poor;

(b) if so, what are the details thereof stating the percentage of the rural and urban people benefited by the Health services;

(c) the deficiencies if any, identified in Health care and clinical services in reaching the maximum number of rural and urban poor; and

(d) the strategy, if any formulated by Government to give maximum benefits from these health care services to the nearly and poor rural and urban people?

THE MINISTER FOR HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) Yes Sir. Surveys which inter-alia examine the utilisation of Health and Clinical care Services have been conducted by various institutions. Recent studies by National Sample Survey Organisation and the National Council for Applied Economic Research indicate the following: